भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5763

(जिसका उत्तर सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

"पैन और आधार को जोड़ना"

5763. श्री कार्ति पी. चिदम्बरमः
डॉ. अमर सिंहः
श्री बैन्नी बेहननः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आधार से जुड़े नहीं होने के कारण 1 जनवरी, 2026 तक निष्क्रिय हुए स्थायी लेखा संख्याओं (पैन) की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पैन को आधार से जोड़ने में विलंब के लिए आज तक एकत्र किए गए विलंब शुल्क की कुल धनराशि कितनी है;

(ग) निष्क्रिय पैन स्थिति के कारण प्रक्रमित न किए गए आयकर रिटर्न (आईटीआर), अस्वीकृत टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट और रोके गए रिफंड की संख्या कितनी है, साथ ही इसके अंतर्गत कुल मौद्रिक राशि कितनी है; और

(घ) वर्ष 2024-25 से अब तक की अवधि के दौरान ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से पैन के निष्क्रिय होने, रिफंड अवरोध या पोर्टल की खराबी से संबंधित प्राप्त शिकायतों की वर्षवार संख्या कितनी है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) आधार-पैन लिंकिंग केवल व्यक्तिगत श्रेणी के करदाताओं के लिए अनिवार्य है। 1 जनवरी, 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी के निष्क्रिय पैन की कुल संख्या 9,25,50,668 है।

(ख) पैन को आधार से जोड़ने में देरी के लिए 23.03.2026 तक कुल विलंब शुल्क के रूप में 2,338.31 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं।

(ग) जिन मामलों में पैन निष्क्रिय स्थिति में हैं उनमें दाखिल किए गए आयकर रिटर्न प्रक्रमित किए जाते हैं और रिटर्न में दावा किए गए पूर्व-भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट की भी अनुमति दी जाती है।

हालांकि इन रिटर्नों की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले रिफंड आयकर नियमावली 1962 के नियम 114एएए के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139एए के प्रावधानों के अनुसार रोक दी जाती है। निष्क्रिय पैन की स्थिति के संबंध में रोके गए ऐसे रिफंड वाले मामलों की संख्या 1,30,638 है और इसकी राशि 340.30 करोड़ रुपये है।

(घ) वर्ष 2024-25 से इस अवधि के दौरान ई-फ़ॉलिंग पोर्टल के माध्यम से पैन कार्ड काम न करने, रिफंड ब्लाकेज अथवा पोर्टल के ठीक से कार्य न करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की वर्ष-वार संख्या इसप्रकार है:

वर्ष	**संख्या**
2024–25	1114
2025–26	1156
कुल योग	2270
